नाना केशव लगड़

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(2008 की आपराधिक अपील सं. 1010)

3 जुलाई, 2013

[चंद्रमौली के. आर. प्रसाद और फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 सपठित धारा 34 और धारा 324 सपठित धारा 34 हत्या-सामान्य इरादा-भूमि पर विवाद-जिसके कारण साइकिल चेन और पत्थर से हमला-शिकायतकर्ता (पीडब्लू 4) को कई चोटें और उसके पिता की मृत्य अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित -अभिर्निधारितः दोषसिद्धि अकेले पीडब्लू 4 के एकमात्र कथन पर आधारित नहीं थी- पीडब्लू 4 की साक्ष्य को पीडब्लू 5 और अन्य चिकित्सीय साक्ष्य व साथ ही विशेषज्ञ की राय के साथ पढ़े तो अपीलकर्ताओं की अपराध में संलिप्तता के अलावा, मृतक के साथ-साथ पीडब्लू 4 को भी खत्म करने के उनके सामान्य इरादे का खुलासा करती है। सौभाग्य से पीडब्लू 4 बच गया, हालाँकि उसे भी कई चोटें लगीं, जो अंततः गंभीर नहीं थीं। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 34 हस्तगत मामले

में लागू नहीं होती हो। चिकित्सीय साक्ष्य काफी हद तक मृतक को खत्म करने के अभियुक्त के इरादे को स्थापित करता है और मृतक को कारित चोटें उस समन्वित प्रतिशोध का खुलासा करती हैं जिसके साथ अपीलकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मृतक जीवित न रहे।

साक्षी-विश्वसनीयता का विश्लेषण -हत्या का मामला-अभियुक्तों की संख्या-न्यायालय के समक्ष पीडब्लू 4 ने अपनी मौखिक साक्ष्य में, दो अभियुक्तगण की उपस्थिति को छोड़कर, पूरी तरह से अपने संस्करण का समर्थन किया। पीडब्लू 4 ने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि वे दोनों घटना के समय मौजूद नहीं थे और इस हद तक, उसके परिवाद में उसके कथन गलत थे। अभिर्निधारित: हालाँकि, मात्र इस आधार पर पीडब्लू 4 की संपूर्ण साक्ष्य को खारिज नहीं किया जाना चाहिये। चूँकि पीडब्लू 4 की साक्ष्य अन्य सभी मामलों में परिवाद में उसके कथन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और जिसे चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य चश्मदीद पीडब्लू 5 के संस्करण द्वारा भी काफी हद तक समर्थित किया गया था, इसलिए अभियोजन के मामले को खारिज करने के लिए उसके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

साक्षी-पंच गवाह-विश्लेषण-अभिर्निधारित: केवल इसलिए कि उक्त गवाह ने किसी अन्य मामले में साक्ष्य प्रस्तुत की थी, केवल उसी आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि उसकी साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए। उसकी साक्ष्य पूरी तरह से सत्य और सम्पुष्ट थी, तथा इसलिये वो स्वीकार्य थी।

साक्ष्य-हत्या का मामला-बचाव पक्ष का तर्क-अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के कपड़ों में पाए गए खून के धब्बों को किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य के माध्यम से संतोषजनक ढंग से स्थापित करने में विफल रहा। अभिर्निधारित: तर्कसंगत नही- अपीलकर्ताओं को यह बताना था कि उनके द्वारा पहने गए कपड़ों में मानव रक्त कैसे आया था। धारा 313 के कथनों में भी अपीलकर्ताओं की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है

अभियुक्त पक्ष के साथ-साथ शिकायतकर्ता पक्ष भी एक ही गाँव के निवासी थे। उनके पास एक-दूसरे से सटी हुयी कृषि भूमि का स्वामित्व और कब्ज़ा था। उनके मध्य अपनी-अपनी भूमि के रास्ते के उपयोग के संबंध में विवाद था। उक्त विवाद के कारण ही अभियुक्तगण ने शिकायतकर्ता पीडब्लू 4 और उसके पिता पर साइकिल चेन और पत्थरों से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप पीडब्लू 4 के पिता के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों पर खून बहने की चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गयी तथा पीडब्लू 4 भी घटना में घायल हो गया था।

विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण-अपीलार्थी को धारा 302 सपठित धारा 34 व धारा 324 सपठित धारा 34 में दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कठोर कारावास का दण्डादेश दिया। उक्त दण्डादेश को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया।

हस्तगत अपील में, अपीलकर्ताओं ने अपनी दोषसिद्धि को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि दोषसिद्धि मुख्य रूप से एकमात्र चश्मदीद गवाह पी. डब्ल्यू. 4 की साक्ष्य पर आधारित थी और उसकी साक्ष्य में आई विभिन्न विसंगतियों को ध्यान में रखे तो वह उपस्थित होकर घटना को नहीं देख सकता था। अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि एफ. आई. आर.,में पी. डब्ल्यू. 4 ने छह व्यक्तियों का नाम लिया है,जबकि अपने मौखिक साक्ष्य में, उसने दो नाम छोड़ दिये और यह कि पी. डब्ल्यू. 3, जो साइकिल चेन और पत्थर की बरामदगी का एक पंच गवाह है, की साक्ष्य को पूरी तरह से स्थापित नहीं किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने विशेषज्ञ साक्ष्य के समर्थन के बिना यह निष्कर्ष दिया दो अभियुक्तगण की शर्ट में मानव रक्त था, जो कि सत्य नहीं था; तथा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर आईपीसी की धारा 34 लागू नहीं होती है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारितः

1. मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श 35 में नोट किया गया था। मृतक के शव पर कम से कम 19 चोटें थीं। 19 बाहरी चोटों के अलावा, प्रदर्श 35 में 4 आंतरिक चोटों का भी उल्लेख किया गया है। पीडब्लू 4, चश्मदीद गवाह को कम से कम 11 चोटें लगी हैं, जिन्हें उसी डॉक्टर, पीडब्लू 6 ने चोट प्रमाण पत्र में प्रदर्श 37 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि मृतक के शरीर पर सभी चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थी। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक के शरीर पर चोटें कठोर और कुंद वस्तुओं से लगी थीं और चोट संख्या 1, 2, 3, 4 और 16 साइकिल चेन के हमले के कारण आना संभव थीं, जबकि अन्य चोटें पथराव के कारण संभव थीं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि चोट संख्या 18, 19 और 20 पत्थर से हमले के कारण संभव थी, जिसे अदालत के समक्ष प्रदर्शित किया गया था। अंततः, डॉक्टर ने कहा कि उक्त चोटें किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए सामान्य रूप से पर्याप्त थीं। जहां तक पीडब्लू 4 के शरीर पर पाई गई चोटों का प्रश्न है, पीडब्लू 6 के डॉक्टर ने बताया कि ये चोटें कठोर और कुंद वस्तुओं और साइकिल चेन के कारण कारित हुई थीं।

2.1 पीडब्लू 4 ने अपने मृतक पिता के नेतृत्व में अपने परिवार, और आरोपी के बीच उनकी कृषि भूमि तक पहुंचने का अधिकार को लेकर व्याप्त दुश्मनी और 04.10.2002 को सुबह 7.00 बजे वास्तव में क्या हुआ था

उसके बारे में बताया है। उसके द्वारा बताए गए मुख्य तथ्य यह थे कि, सुबह जब पीडब्लू 4 और उनके पिता मक्के के बीज बोने के लिए अपने खेत तक पहुंचना चाहते थे, तो पहले अभियुक्त ने उनके रास्ते में बाधा डाली, दुर्व्यवहार किया और रास्ते का उपयोग न करने की धमकी दी और इसलिए वे घर वापस लौट आए। इसके बाद, उसके अनुसार, मृतक पिता न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने गए थे, जबकि वह अपने मवेशियों के साथ खेत में गया था । आगे यह भी कथन किया गया कि शाम को, वह 5.15 बजे तक वापस लौट आया और उसके पड़ोसी, बापू दादा घडगे के माध्यम से, उसकी बहन ने उसे अपीलकर्ताओं का अन्य आरोपी के साथ उसके पिता के साथ मारपीट करने के इरादे से कोलगांव लगडवाडी रोड पर इंतजार करने के बारे में सूचित किया और जब वह साइकिल से उक्त स्थान पर पहुंचा और इससे पहले कि वह घटनास्थल पर पहुंच पाता, उसने देखा कि सभी आरोपी उसके पिता को साइकिल की चेन और पत्थर से मारपीट रहे थे, साथ ही साथ गाली-गलौज भी कर रहे थे। उसने कहा कि जब वह वास्तविक घटना स्थल से लगभग 200 मीटर दूर था तब यह घटना देखी और तभी अपीलकर्ता और अन्य आरोपी उसकी ओर बढ़े और साइकिल चेन और पत्थर से उस पर भी हमला करना शुरू कर दिया और राजू के हस्तक्षेप के कारण ही वह अभियुक्त के हमले से बच सका और अपने पिता के पास पहुंच सका, लेकिन उसने देखा कि उनके सिर से गंभीर रूप से

खून बह रहा था, साथ ही उनके पूरे शरीर पर मारपीट के निशान थे और वे पानी मांग रहे थे। इसके बाद, उसके अनुसार, वह साइकिल से अपने गांव वापस गया और राजेंद्र उजागरे से उसकी जीप ली, जिसमें वह अपने पिता को ग्रामीण अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसके पिता की जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिकायतकर्ता, पीडब्लू 4 के उक्त बयान में सुसंगत तथ्य शामिल थे, जो अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक थे।

2.2 न्यायालय के समक्ष पीडब्लू 4 ने अपनी मौखिक साक्ष्य में, दो आरोपियों, गणेश और संदीप की उपस्थिति को छोड़कर, पूरी तरह से अपने संस्करण का समर्थन किया। पीडब्लू 4 ने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि वे घटना के समय मौजूद नहीं थे और इस हद तक, उसके परिवाद में उसके कथन गलत थे। हालाँकि, मात्र इस आधार पर पीडब्लू 4 की संपूर्ण साक्ष्य को खारिज नहीं किया जाना चाहिये। चूँकि पीडब्लू 4 की साक्ष्य अन्य सभी मामलों में परिवाद में उसके कथन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और जिसे चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू 5 के संस्करण द्वारा भी काफी हद तक समर्थित किया गया था, इसलिए अभियोजन के मामले को खारिज करने के लिए उसके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

3. पीडब्लू 3, पंच गवाह, जिसने प्रदर्श 22, 23, 24, 25 और 26 से साइकिल चेन आदि की बरामदगी का समर्थन किया था, की साक्ष्य से संबंधित अन्य तर्क बहुत ही तुच्छ प्रकृति के थे, उक्त तर्क इस आधार पर था कि वह एक स्टोक गवाह था। विचारण न्यायालय ने भी उक्त तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि केवल इसलिए कि उक्त गवाह ने किसी अन्य मामले में साक्ष्य प्रस्तुत की थी, मात्र इसी आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि उसकी साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय ने पाया है कि जब बरामदगी के संबंध में उसकी साक्ष्य पूरी तरह से सत्य और सम्पुष्ट थी, तथा स्वीकार्य थी तब उक्त गवाह के संस्करण को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किये गये और उसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किये गये विस्तृत तर्कों के अवलोकन के बाद, हमें अंतिम निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिला है।

4. अपीलकर्ताओं की ओर से दिया गया अन्य तर्क ए1 और ए4 द्वारा पहने गए कपड़ों में पाए गए मानव रक्त के संदर्भ में था। उन्होंने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष, ए1 के साथ-साथ 2008 के क्रिमिनल अपीलीय संख्या 1010 में अपीलकर्ता के कपड़ों में पाए गए खून के धब्बों को किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य के माध्यम से संतोषजनक ढंग से स्थापित करने में विफल रहा। वास्तव में, विचारण न्यायालय ने यह सही कहा है

कि, अपीलकर्ताओं को यह बताना था कि उनके द्वारा पहने गए कपड़ों में मानव रक्त कैसे आया था। धारा 313 के कथनों में भी अपीलकर्ताओं की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।

5. हस्तगत मामले में दोषसिद्धि पीडब्लू 4 की एकमात्र साक्ष्य पर आधारित थी, बल्कि अन्य चश्मदीद गवाह, अर्थात्: पीडब्लू 5 जिसकी साक्ष्य पीडब्लू 4 की साक्ष्य के बराबर स्वीकार्यता के योग्य थी, ने भी इसका समर्थन किया, इसके अलावा चिकित्सकीय साक्ष्य ने भी अभियोजन का पूर्ण समर्थन किया है। पीडब्लू 4 की साक्ष्य को पीडब्लू 5 और अन्य चिकित्सीय साक्ष्य व साथ ही विशेषज्ञ की राय के साथ पढ़े तो अपीलकर्ताओं की अपराध में संलिप्तता के अलावा, मृतक के साथ-साथ पीडब्लू 4 को भी खत्म करने के उनके सामान्य इरादे का खुलासा करती है। सौभाग्य से पीडब्लू 4 बच गया, हालाँकि उसे भी कई चोटें लगीं, जो अंततः गंभीर नहीं थीं। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 34 हस्तगत मामले में लागू नहीं होती हो। चिकित्सीय साक्ष्य काफी हद तक मृतक को खत्म करने के अभियुक्त के इरादे को स्थापित करता है और मृतक को कारित चोटें उस समन्वित प्रतिशोध का खुलासा करती हैं जिसके साथ अपीलकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मृतक जीवित न रहे।

वादिवेलु थेवर बनाम द स्टेट ऑफ मद्रास एआईआर 1957 एससी 614; 1957 एससीआर 981; अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 10 एससीसी 259: 2010 (13) एससीआर 311-अभिनिर्धारित: अप्रयोज्य।

संदर्भित न्यायिक दृष्टांत:

1957 एससीआर 981 अप्रयोज्य अभिर्निधारित किया गया

2010 (13) एस. सी. आर. 311 अप्रयोज्य अभिर्निधारित किया गया

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता: आपराधिक अपील सं. 1010/2008

आपराधिक अपील सं. 611/2003 में औरंगाबाद स्थित बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 16.01.2006 से।

साथ में

2008 की आपराधिक अपील सं. 1011

सुशील करंजकर, एम. वाई. देशमुख, निकलेश कुमार, श्रीकानंद आर. देशमुख, रामेश्वर प्रसाद गोयल अपीलार्थी की और से।

शंकर चिलार्ज, आशा गोपालन नैर, अप्रत्यर्थी की और से।

न्यायालय का निर्णय फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे. द्वारा दिया गया

1. ये दोनों अपीलें औरंगाबाद स्थित बॉम्बे उच्च न्यायालय की 2003 की आपराधिक अपील सं. 611, दिनांक 16.01.2006 के सामान्य फैसले के विरूद्ध की गयी हैं।

2. 2008 की आपराधिक अपील सं.1010 में अपीलार्थी ए4 है और 2008 की आपराधिक अपील सं. 1011 में अपीलकर्ता ए2 और ए3 हैं। कुल मिलाकर, चार अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया। अभियुक्तगण द्वारा 2002 के सत्र मामले संख्या 191 में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 21.08.2003 को पारित निर्णय के द्वारा उन पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा के विरूद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।

3. सभी अभियुक्तगण को आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 और धारा 324 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए 500/- रुपये के जुर्माने के भुगतान के अलावा आजीवन कठोर कारावास तथा अदम अदायगी में छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा एवं धारा 324 सपठित धारा 34 आईपीसी के अपराध के लिए

एक वर्ष के कठोर कारावास के साथ Rs.300/- का जुर्माना तथा अदम अदायगी में एक महीने के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी थी। अपीलकर्ताओं ने कथन किया कि उन्होंने 21.08.2003 को ही जुर्माना राशि का भुगतान कर दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के विरूद्ध दोषसिद्धि और दंडादेश को बरकरार रखा, जिस पर उनके द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी है। पहले आरोपी केशव की मृत्यु हो गई और शेष आरोपी हमारे सामने हैं।

4. जैसा कि अभियोजन के मामले की उत्पत्ति से पता चलता है, सभी अभियुक्तगण, शिकायतकर्ता संतोष रामचन्द्र लगड, जो मृतक रामचन्द्र लगड का पुत्र है, सभी एक ही गांव लगडवाड़ी के निवासी थे। उनके पास एक-दूसरे से सटी हुयी कृषि भूमि का स्वामित्व और कब्ज़ा था। उनके मध्य अपनी-अपनी भूमि के रास्ते के उपयोग के संबंध में विवाद था। मृतक रामचन्द्र लगड के द्वारा अपीलकर्ताओं के विरूद्ध श्रीद्रोंडा न्यायालय में निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अपनी कृषि भूमि तक जाने के अपने अधिकार की सुरक्षा के संबंध में अन्य अधिकारियों से भी संपर्क किया। ऐसा प्रतीत होता है कि एक स्तर पर उन्होंने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए भूख हड़ताल का सहारा लिया था। उस समय, पुलिस ने हस्तक्षेप किया और अभियुक्तगण को निर्देश दिया गया कि वे मृतक और शिकायतकर्ता सहित उसके परिवार के सदस्यों, को

सिविल कोर्ट के निर्णय आने तक अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए पुराने रास्ते का उपयोग करने की अनुमति दें।

5. यह अभिकथित किया गया कि पुलिस के ऐसे निर्देश दिये जाने के बावजूद, अभियुक्त व्यक्तियों के द्वारा उसका उल्लंघन किया गया। दिनांक 04.10.2002 को, लगभग 7.00 बजे, जब शिकायतकर्ता पीडब्लू 4 और उसके मृत पिता, मक्के के बीज बोने के लिए अपने खेत की ओर जा रहे थे तब पहले अभियुक्त द्वारा उन्हें विवादित रास्ते पर आगे बढ़ने से रोका गया था। उसके द्वारा शिकायतकर्ता और उसके मृत पिता के साथ दुर्व्यवहार और धमकी दी गयी। पीडब्लू 4 और उसके पिता अपने घर वापस लौट आये। इसके बाद, मृतक सिविल मामले की सुनवाई में शामिल होने के लिए श्रीगोंडा कोर्ट चला गया, जबकि शिकायतकर्ता पीडब्लू 4 अपने मवेशियों की देखभाल करने के लिए चला गया।

6. उसी दिन शाम लगभग 5.15 बजे, जब शिकायतकर्ता पीडब्ल्यू 4 प्याज की फसल को पानी देने के बाद अपने घर लौटा, तो उसकी बहन को किसी बापू दादा घडगे से पता चला कि अभियुक्तगण कोलगांव लगडवाड़ी रोड पर उसके पिता, रामचंद्र लगड पर हमला करने के इरादे से, उसके गांव लौटने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए शिकायतकर्ता को तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता पीडब्लू 4 ने बताया कि वह साइकिल से घटनास्थल पर पहुंचा था और उसके अनुसार, जब वह

घटनास्थल पर पहुंचने वाला था यानी घटनास्थल से लगभग 200 मीटर की दूरी से, उसने सभी चार अभियुक्तगणों को गणेश संभाजी लगड़ और संदीप संभाजी लगड़ के साथ अपने पिता रामचंद्र को पीटते हुए और गाली-गलौज करते हुए देखा। यह भी दावा किया गया है कि पीडब्लू 4 और उसके मृत पिता, रामचन्द्र लगड़ पर साइकिल की चेन और पत्थर से हमला किया गया था। अभियुक्त ने शिकायतकर्ता और उसके पिता को विवादित रास्ते का उपयोग जारी रखने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। उस समय, राजू नाम का व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर पीडब्लू 4 के बचाव में आया, जिसने हस्तक्षेप कर शिकायतकर्ता को अभियुक्त के चंगुल से अलग कर दिया। शिकायतकर्ता ने देखा कि उसके पिता के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर खून बहने की चोटें लगी हैं, जिस पर वह जीप टैक्सी लाने के लिए अपने गांव वापस लौटा, जिसमें वह अपने पिता को श्रीगोंडा पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस के निर्देशानुसार, पीडब्लू 4 अपने पिता को ग्रामीण अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीडब्लू 4 की भी उस डॉक्टर द्वारा जांच की गई , जिसने उसे प्राथमिक उपचार दिया और उसके बाद, पीडब्लू 4 ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

7. आईपीसी की धारा 302, 324, 504, 506, 143, 147, 148, 149 के साथ-साथ धारा 37(ए) सपठित धारा 135 बॉम्बे पुलिस अधिनियम के

तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्तगण के विरूद्ध शिकायत 2002 के सीआर नंबर 249 के रूप में दर्ज की गई थी।

8. पीडब्लू 16, एपीआई राजेंद्र नरहरि पडवाल के द्वारा जांच की जाकर, घटना स्थल का दौरा किया गया, उसकी खून से सनी शर्ट और मिट्टी एकत्र की, गवाहों के बयान दर्ज किए गये और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए संस्वीकृती बयान के स्वीकार्य हिस्से के आधार पर, पंच गवाहों की उपस्थिति में साइकिल चेन और पत्थरों को जब्त कर लिया गया। अभियुक्त केशव के कपड़े, जिनमें खून के धब्बे थे, मृतक के कपड़े और घटनास्थल से एकत्र की गई खून से सनी मिट्टी, अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार और खून के नमूने को, मृतक के कपड़ों के साथ रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था। आरोप-पत्र विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीगोंडा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया।

9. सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के समर्थन में 16 गवाहों को परीक्षित किया गया। पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 जो पंच गवाह थे, वे पक्षद्रोही हो गए। पीडब्लू 3 प्रदर्श 22, 23, 24, 25 और 26 में साइकिल चेन की बरामदगी का समर्थन करने वाला एक और पंच गवाह था। पीडब्लू 4 शिकायतकर्ता है, जो मृतक का बेटा और आहत चश्मदीद है।

पीडब्लू 5 एक और चश्मदीद गवाह है। पीडब्लू 6 डॉ. नामदेव सोपान शिंदे थे, जिन्होंने मृतक का पोस्टमॉर्टम किया था, और जिन्होंने पीडब्लू 4 का इलाज भी किया था। प्रदर्श 35 पोस्टमॉर्टम प्रमाणपत्र है और प्रदर्श 37 पीडब्लू 4 का चोट प्रमाणपत्र है। पीडब्लू 7 एक और पंच गवाह है जिसके माध्यम से प्रदर्श 38 और 39 को प्रदर्शित किया गया था। पीडब्लू 13 शिकायतकर्ता की मां है। पीडब्लू 16 जांच रिपोर्ट प्रदर्श 50 को प्रमाणित करने और गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श 54, 55, 56, 57, 58, 61 और 62 को प्रमाणित करने के लिए एक और गवाह है।

` 10. विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्कों व साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण करने पर, सभी अभियुक्तगण को आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 और धारा 324 सपठित धारा 34 के तहत अपराध का दोषी पाया गया। उच्च न्यायालय के द्वारा दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि करने पर, अपीलार्थी हमारे सामने हैं।

11. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सुशील करंजकर को सुना। हमने प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील श्री शंकर चिल्लारेज को भी सुना।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सुशील करंजकर ने एफआईआर का हवाला देते हुए अपने तर्क में कहा कि मौजूदा मामले में

दोषसिद्धि मुख्य रूप से एकमात्र चश्मदीद गवाह, पीडब्लू 4 के आधार पर की गई थी और उसकी साक्ष्य में विभिन्न विसंगति होने के कारण, वह उपस्थित होकर घटना को देख नहीं सकता था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर में, पीडब्लू 4 ने इस बात का कोई संदर्भ नहीं दिया कि किस आरोपी ने किस हथियार का इस्तेमाल किया था और उसने छह लोगों का नाम लिया, जबकि अपने मौखिक साक्ष्य में, उसने दो नामों को छोड़ दिया। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मृतक के साथ पीडब्लू 4 को कारित चोटें, और इस्तेमाल किए गए हथियार एक-दूसरे से सहसंबंध नहीं रखते हैं। विद्वान वकील ने पीडब्लू 3, जो साइकिल चेन और पत्थर की बरामदगी के लिए एक पंच गवाह था, की साक्ष्य का हवाला देते हुए, तर्क दिया कि बरामदगी के तथ्य पूरी तरह से स्थापित नहीं थे। विद्वान वकील ने बताया कि विचारण न्यायालय ने किसी विशेषज्ञ साक्ष्य के समर्थन के बिना यह निष्कर्ष दिया कि 2008 के सीआरएल.ए.नं.1010 में अपीलकर्ता और 2008 के सीआरएल.ए.नं.1011 में पहले अभियुक्त की शर्ट में मानव रक्त था, जो सत्य नहीं था। उन्होनें यह भी तर्क दिया कि संपूर्ण दोषसिद्धि एक आहत चश्मदीद के रूप में पीडब्लू 4 के साक्ष्य पर आधारित थी और उक्त गवाहों की साक्ष्य किसी अन्य विधिवत स्वीकार्य साक्ष्य से सहसंबंधित नहीं थी। अंत में, यह तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 34 लागू नहीं होती है और इसलिए, उस आधार पर भी दोषसिद्धि अपास्त

किए जाने योग्य है। विद्वान वकील ने अपने तर्कों के समर्थन में वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य-एआईआर 1957 एससी 614 और अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य - (2010) 10 एससीसी 259 पर निर्भर किया।

13. उपरोक्त तर्कों के विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मामला पूरी तरह से धारा 300 के अंतर्गत आता है, जो कि डॉक्टर के साक्ष्य द्वारा विधिवत रूप से स्थापित किया जा चुका है जिसने स्पष्ट बयान दिया था कि मृत्यु चोटों के कारण ही हुई थी। राज्य के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि पीडब्लू 4 की साक्ष्य के साथ चिकित्सीय साक्ष्य और अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों के सबूत के अलावा, पीडब्लू 5, जो एक अन्य चश्मदीद गवाह था, की साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करती थी। इसलिए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और दण्डादेश पूरी तरह से न्यायोचित था और इसलिए परित फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के साथ-साथ राज्य के विद्वान वकील को सुनने के बाद और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय, साथ ही विचारण न्यायालय और अभिलेख पर रखे गए अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, हम राज्य के विद्वान वकील के तर्कों में बल पाते हैं।

15. जब हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्कों पर विचार करते हैं, तो उनका एकमात्र तर्क यह था कि पीडब्लू 4, जो घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में परीक्षित हुआ, वो मृतक का निकट संबंधी था और चूंकि उसकी साक्ष्य में काफी विरोधाभास थे, किसी अन्य गवाह या अन्य समपुष्टि साक्ष्य के अभाव में, विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध करने के लिये उसकी एकमात्र साक्ष्य पर निर्भर नहीं करना चाहिए था।

16. हमने उक्त तर्क पर विचार किया और पाया कि उक्त तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन के मामले को संक्षेप में सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं। हम यह अभिव्यक्त करते है कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की ओर से दिये गये तर्कों पर बहुत सूक्ष्मता से विचार किया है और अपीलकर्ताओं की ओर से दिये गये प्रत्येक तर्क को खारिज करने के लिए सहायक कारकों के साथ न्यायोचित कारण दिए हैं। हमने यह भी पाया है कि विचारण न्यायालय, साथ ही उच्च न्यायालय ने न केवल एकमात्र पीडब्लू 4 की साक्ष्य पर निर्भर किया है, बल्कि अपने निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों पर भी निर्भर किया है। इसमें चिकित्सीय साक्ष्यों का भी विस्तृत संदर्भ दिया है और पाया है कि चिकित्सीय साक्ष्य पूरी तरह से चश्मदीद साक्ष्यों का

समर्थन करते हैं और इसलिए, अपीलकर्ताओं को अपराध का दोषी ठहराने का अंतिम निष्कर्ष पूरी तरह से स्थापित हो गया था।

17. विचारण न्यायालय द्वारा दिये गए निष्कर्ष एवं तर्कों के विवेचनकरने के लिये सर्वप्रथम मृतक के साथ-साथ शिकायतकर्ता को कारित चोटों का उल्लेख करना उचित होगा। मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श 35 में नोट किया गया था। रामचन्द्र लगड के शव पर कम से कम 19 चोटें थीं, जैसे,

"(1) पूरे स्कैपुलर, इंटर-स्कैपुलर और इंट्रा-स्कैपुलर क्षेत्र में बाएं स्कैपुला के आकार की तरह रैखिक घर्षण और 10 सेमी x 1 सेमी x 7 सेमी x 1 सेमी का, 2 संख्या में

(i) बायां स्कैपुलर क्षेत्र 3 संख्या में , प्रत्येक 12 सेमी x 10 सेमी

(ii) अंतर-स्कैपुलर क्षेत्र 2 संख्या में, प्रत्येक 10 सेमी x 1 सेमी

(iii) इंट्रा-स्कैपुलर क्षेत्र 2 संख्या में, प्रत्येक 15 सेमी x 1 सेमी

(2) पीठ के दाहिनी लंबर क्षेत्र पर चोट के साथ , पीठ के निचले क्षेत्र पर घर्षण का विस्तार।

(3) बायीं लंबर के क्षेत्र पर भूरेपन खरोंच के साथ और सतह पर घर्षण

(4) बायीं जांघ के ऊपरी भाग पर 10 सेमी x 1/2 सेमी पीछे की सतह पर घर्षण के साथ चोट।

(5) दाहिने नितंब पर रैखिक घर्षण 4 संख्या में, 4 सेमी x 2 सेमी।

(6) दाहिनी जांघ की पोस्ट सतह पर घर्षण, प्रत्येक 1 सेमी x 1 सेमी, 4 संख्या में ।

(7) बाएं घुटने की पोस्ट सतह पर घर्षण 5 सेमी x 1 सेमी।

(8) औकिपट के ऊपरी भाग पर सीएलडब्ल्यू 2 सेमी x ½ सेमी हड्डी द्वारा गहरा रिसाव मौजूद था।

(9) दाहिनी जांघ के पार्श्व क्षेत्र पर चोट 7 संख्या में, प्रत्येक 1 सेमी x ½ सेमी

(10) सीएलडब्ल्यू दाहिनी जांघ पर पार्श्व निचले हिस्से में 2 सेमी x ½ सेमी x ½ सेमी का थक्का मौजूद है।

(11) दाहिनी पिंडली पर खरोंच 5 सेमी x 1 सेमी।

(12) दाहिनी कोहनी पोस्ट क्षेत्र पर घर्षण 5 संख्या में प्रत्येक 1 सेमी x 1 सेमी.

(13) बाएं घुटने के नीचे घर्षण 2 सेमी x 1 सेमी।

(14) दाहिनी बांह पर पार्श्व में चोट 1 ½ सेमी x ½ सेमी।

(15) दाहिनी ओर के अंडकोश पर घर्षण 2 सेमी x 2 सेमी।

(16) दाहिने कंधे पर खरोंच 6 सेमी x 1 सेमी की ।

(17) दाहिने पैर की टिबिया की पिंडली में घर्षण 16 सेमी x 1 सेमी के साथ सतह पर घर्षण

(18) दाहिनी आंख-भौंह के ऊपरी भाग पर घर्षण 2 सेमी x ½ सेमी।

(19) बाईं कोहनी के पार्श्व क्षेत्र पर घर्षण 3 सेमी x 1 सेमी।

19 बाहरी चोटों के अलावा, प्रदर्श 35 में 4 आंतरिक चोटों का भी उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

"(1) बाएं टखने के जोड़ के ऊपरी भाग पर टिबियो फाइबुला का फ्रैक्चर।

(2) दाएं जबड़े के कोण और बाएं जबड़े के कोण का फ्रैक्चर।

(3) दाहिनी पसली में तीसरी, चौथी और पांचवीं पसली का आगे की ओर फ्रैक्चर।

(4) बायीं पसली में तीसरी, चौथी, पांचवीं पसली का आगे की ओर फ्रैक्चर।

18. जहां तक पीडब्लू 4, चश्मदीद गवाह का प्रश्न है तो उसे कम से कम 11 चोटें लगी हैं, जिन्हें उसी डॉक्टर, पीडब्लू 6 ने चोट प्रमाण पत्र में प्रदर्श 37 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। चोटें इस प्रकार थीं:

"(1) बाईं बांह के पीछे के क्षेत्र पर 4 संख्या में खरोंच, प्रत्येक में 1 ½ सेमी x 1 सेमी की जिसमें लाली मौजूद है।

(2) बाएं हाथ के पार्श्व क्षेत्र पर 8 सेमी x 1 सेमी का चेन का निशान मौजूद था।

(3) बाएं कंधे के पिछले हिस्से पर चोट जो पीठ पर 11 सेमी x 1 सेमी तक फैली हुई जिसमें लाली मौजूद थी व चेन मार्क भी मौजूद था।

(4) दाहिने कंधे के आगे की और क्षेत्र में कांख (बगल) के पास 3 सेमी x ½ सेमी की चोट और सूजन मौजूद थी।

(5) छाती के निचले हिस्से के पार्श्व क्षेत्र पर बाईं ओर 10 सेमी x 1 सेमी रक्तस्राव मौजूद था।

(6) बाएँ सुप्रास्कैपुलर क्षेत्र पर घर्षण, 5 संख्या में, प्रत्येक 12 सेमी x 1 सेमी चेन का निशान मौजूद था।

(7) पीठ के दाहिनी ओर के लंबर क्षेत्र से लेकर पीठ की बायीं ओर के लंबर क्षेत्र में चोट 24 सेमी x 1 सेमी तक फैली हुई। चेन मार्क मौजूद।

(8) दाएं स्कैपुला के बीच के क्षेत्र पर संलयन घर्षण जो इंट्रास्कैपुलर और सुप्रा स्कैपुलर क्षेत्र तक तिरछा फैला हुआ है, 2 संख्या में, प्रत्येक का आकार 20 सेमी x 1 सेमी लाली मौजूद थी । चेन मार्क मौजूद.

(9) दाहिने लंबर क्षेत्र पर 6 सेमी x 1 सेमी लंबवत घर्षण। चेन मार्क मौजूद।

(10) दाहिनी स्कैपुलर में घर्षण, 2 संख्या में, प्रत्येक 2 ½ सेमी और 2 सेमी और रक्तस्राव मौजूद था।

(11) दाहिनी बांह के पीछे की ओर मध्य में 6 सेमी x 1 सेमी की चोट, सूजन मौजूद है।

19. डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि मृतक के शरीर पर सभी चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं; जिसमें इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज था और मौत का कारण सदमा और इंट्रा सेरेब्रल क्षेत्र में हेमरेज तथा वक्ष और सिर में चोट आना था।

20. उन्होंने यह भी कहा कि मृतक के शरीर पर चोटें कठोर और कुंद वस्तुओं से लगी थीं और चोट संख्या 1, 2, 3, 4 और 16 साइकिल चेन के हमले के कारण आना संभव थीं, जबकि अन्य चोटें पथराव के कारण संभव थीं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि चोट संख्या 18, 19 और 20 पत्थर से हमले के कारण संभव थी, जिसे अदालत के समक्ष प्रदर्शित किया गया था। अंततः, डॉक्टर ने कहा कि उक्त चोटें किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए सामान्य रूप से पर्याप्त थीं।

21. जहां तक पीडब्लू 4 के शरीर पर पाई गई चोटों का प्रश्न है, पीडब्लू 6 के डॉक्टर ने बताया कि ये चोटें कठोर और कुंद वस्तुओं और साइकिल चेन के कारण कारित हुई थीं।

22. अपीलकर्ताओं की ओर से, यह तर्क दिया गया कि पीडब्लू 4 की साक्ष्य, विश्वसनीयता के योग्य नहीं हैं, क्योंकि उसके परिवाद दिनांकित 04.10.2002 और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उसकी साक्ष्य में काफी विसंगतियां थीं।

23. उक्त तर्क पर विचार करने के लिए, जब हम पीडब्लू 4 के परिवाद में वर्णित कथनों का अवलोकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि उसने अपने मृतक पिता के नेतृत्व में अपने परिवार, और आरोपी के बीच उनकी कृषि भूमि तक पहुंचने का अधिकार को लेकर व्याप्त दुश्मनी और

04.10.2002 को सुबह 7.00 बजे वास्तव में क्या हुआ था उसके बारे में बताया है। उसके द्वारा बताए गए मुख्य तथ्य यह थे कि, सुबह जब पीडब्लू 4 और उनके पिता मक्के के बीज बोने के लिए अपने खेत तक पहुंचना चाहते थे, तो पहले अभियुक्त ने उनके रास्ते में बाधा डाली, दुर्व्यवहार किया और रास्ते का उपयोग न करने की धमकी दी और इसलिए वे घर वापस लौट आए। इसके बाद, उसके अनुसार, मृतक पिता न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने गए थे, जबकि वह अपने मवेशियों के साथ खेत में गया था । आगे यह भी कथन किया गया कि शाम को, वह 5.15 बजे तक वापस लौट आया और उसके पड़ोसी, बापू दादा घडगे के माध्यम से, उसकी बहन ने उसे अपीलकर्ताओं का अन्य आरोपी के साथ उसके पिता के साथ मारपीट करने के इरादे से कोलगांव लगडवाडी रोड पर इंतजार करने के बारे में सूचित किया और जब वह साइकिल से उक्त स्थान पर पहुंचा और इससे पहले कि वह घटनास्थल पर पहुंच पाता, उसने देखा कि सभी आरोपी उसके पिता को साइकिल की चेन और पत्थर से मारपीट रहे थे, साथ ही साथ गाली-गलौज भी कर रहे थे। उसने कहा कि जब वह वास्तविक घटना स्थल से लगभग 200 मीटर दूर था तब यह घटना देखी और तभी अपीलकर्ता और अन्य आरोपी उसकी ओर बढ़े और साइकिल चेन और पत्थर से उस पर भी हमला करना शुरू कर दिया और राजू के हस्तक्षेप के कारण ही वह अभियुक्त के हमले से बच सका और अपने पिता के पास

पहुंच सका, लेकिन उसने देखा कि उनके सिर से गंभीर रूप से खून बह रहा था, साथ ही उनके पूरे शरीर पर मारपीट के निशान थे और वे पानी मांग रहे थे। इसके बाद, उसके अनुसार, वह साइकिल से अपने गांव वापस गया और राजेंद्र उजागरे से उसकी जीप ली, जिसमें वह अपने पिता को ग्रामीण अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसके पिता की जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

24. यह उल्लेख करना सुसंगत है कि शिकायतकर्ता, पीडब्लू 4 के उक्त बयान में सुसंगत तथ्य शामिल थे, जो अभियुक्त के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक थे।

25. इसके साथ जब हमने न्यायालय के समक्ष उसकी मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया, तो उसमें यह बताया गया कि परिवाद में उसने छह लोगों को अपने पिता और खुद पर हमला करने वालों के रूप में नामित किया था, इसके विपरीत, मौखिक साक्ष्य में उसने केवल चार लोगों का उल्लेख किया था। न्यायालय के समक्ष पीडब्लू 4 ने अपनी मौखिक साक्ष्य में, दो आरोपियों, गणेश और संदीप की उपस्थिति को छोड़कर, पूरी तरह से अपने संस्करण का समर्थन किया। पीडब्लू 4 ने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि वे घटना के समय मौजूद नहीं थे और इस हद तक, उसके परिवाद में उसके कथन गलत थे।

26. हालाँकि, अपीलकर्ताओं की ओर से, परिवाद की तुलना में पीडब्लू 4 के साक्ष्य में निहित कुछ महत्वहीन बयानों का संदर्भ देकर, यह तर्क दिया गया था कि पीडब्लू 4 की संपूर्ण साक्ष्य को पठनीय नहीं माना जाना चाहिये, हम पाते हैं कि उक्त तर्क में बिल्कुल कोई सार नहीं है। परिवाद के विस्तृत अध्ययन के साथ-साथ पीडब्लू 4 के साक्ष्यों पर, हमने पाया कि गणेश और संदीप के संदर्भ के अलावा सभी बयान, बिना किसी विचलन के पीडब्लू 4 द्वारा पूरी तरह से समर्थित थे। यहां तक कि गणेश और संदीप के बारे में न्यायालय के समक्ष उसके बयान को भी एक बहुत ही निष्पक्ष कथन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि वह उन लोगों को अनावश्यक रूप से फंसाना नहीं चाहता था जो अपराध में शामिल नहीं थे। इस आधार पर, यह नहीं माना जा सकता कि पीडब्लू 4 की पूरी साक्ष्य को खारिज कर दिया जाए। चूँकि पीडब्लू 4 की साक्ष्य अन्य सभी मामलों में परिवाद में उसके कथन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और जिसे चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू 5 के संस्करण द्वारा भी काफी हद तक समर्थित किया गया था, इसलिए अभियोजन के मामले को खारिज करने के लिए उसके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

27. इस संबंध में, जब हम विचारण न्यायालय के निर्णय पर गौर करते हैं, तो हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने पीडब्लू 4 की साक्ष्य से

संबंधित प्रत्येक तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण किया है और अपीलकर्ता की ओर से दिये गये तर्क में कोई सार नहीं पाया। इसलिए, पीडब्लू 4 के साक्ष्य के संबंध में उक्त तर्कों के आधार पर, हमें इन अपीलों में आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है।

28. इसके अतिरिक्त पीडब्लू 3, पंच गवाह, जिसने प्रदर्श 22, 23, 24, 25 और 26 से साइकिल चेन आदि की बरामदगी का समर्थन किया था, की साक्ष्य से संबंधित अन्य तर्क बहुत ही तुच्छ प्रकृति के थे, जैसा कि हम पाते हैं कि उक्त तर्क इस आधार पर था कि वह एक स्टोक गवाह था। विचारण न्यायालय ने भी उक्त तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि केवल इसलिए कि उक्त गवाह ने किसी अन्य मामले में साक्ष्य प्रस्तुत की थी, केवल उसी आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि उसकी साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय ने पाया है कि जब बरामदगी के संबंध में उसकी साक्ष्य पूरी तरह से सत्य और सम्पुष्ट थी, तथा स्वीकार्य थी तब उक्त गवाह के संस्करण को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। हमारे द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किये गये और उसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किये गये विस्तृत तर्कों के अवलोकन के बाद, हमें अंतिम निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिला है।

29. अपीलकर्ताओं की ओर से दिया गया अन्य तर्क ए1 और ए4 द्वारा पहने गए कपड़ों में पाए गए मानव रक्त के संदर्भ में था। उन्होंने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष, ए1 के साथ-साथ 2008 के क्रिमिनल अपीलीय संख्या 1010 में अपीलकर्ता के कपड़ों में पाए गए खून के धब्बों को किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य के माध्यम से संतोषजनक ढंग से स्थापित करने में विफल रहा। इस संबंध में तथ्यों को पुनः दोहराने के बजाय, विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष को संदर्भित करना पर्याप्त होगा, जो पद संख्या 63 में पाए जाते हैं। इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "63. वर्तमान मामले में, इस संबंध में एपीआई पडवल के साक्ष्य को गंभीर रूप से चुनौती नहीं दी गई है या खंडित नहीं किया गया है। सभी अभियुक्तगण को पंचनामे के तहत गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के समय अभियुक्त नाना के खून से सने कपड़े जब्त कर लिये गये हैं। यह किसी भी तरह से विवादित नहीं है या फिर ऐसा भी कोइ तर्क नहीं दिया कि आईओ एपीआई पडवाल द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कोई विद्वेष या वह अभियुक्त को फंसाने के एकमात्र उद्देश्य से एकतरफा जांच में प्रेरित या रुचि रखते थे। दरअसल, इस मामले की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष नजर आ रही है, जब यह पता चला कि संदीप और गणेश

नाम के दो किशोर अभियुक्तगण ने हमले में भाग नहीं लिया है, तो सीआरपीसी की धारा 169 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करके उनके नाम अभियोजन मामले से हटा दिए गए थे। इसलिए, यहां जांच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ी है और यह सिर्फ इसलिए भी नहीं है, एपीआई पडवाल को सुझाव दिया गया है कि, अभियुक्त नाना के पास से ऐसे कोई खून से सने कपड़े बरामद नहीं हुए थे, इसके अलावा, विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि, विधि में ऐसी कोई धारणा नहीं है कि एक पुलिस अधिकारी बेईमानी से काम करता है और उसकी साक्ष्य पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यहां एपीआई पडवल की साक्ष्य अभियुक्त के खून से सने कपड़ों की बरामदगी को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। उनकी साक्ष्य यह भी प्रमाणित करती हैं कि, ये सभी सामान खून से सने कपड़े आदि सीए को भेजे गए थे और सीए रिपोर्ट प्रदर्श 61 के अनुसार अभियुक्त और मृतक के कपड़ों पर खून का पता चला था और यह खून मानव खून था.....वर्तमान मामले में, हालांकि सीए रिपोर्ट, प्रदर्श 61 से पता चलता है कि, उक्त मानव रक्त ग्रुप "बी" का था, आरोपी के रक्त के नमूने के बारे में सीए रिपोर्ट प्रदर्श 62 में

उल्लेखित है कि, परिणाम अनिर्णायक होने से रक्त ग्रुप का पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा,सीए यह साबित नहीं कर पाया है कि मृतक का रक्त ग्रुप "बी" था। हालाँकि, यह भी तथ्य है कि, अभियुक्त नाना के कपड़ों पर मानव खून के धब्बे पाए गए थे और उन्होंने यह नहीं बताया है कि ये खून के धब्बे उनके कपड़ों पर कैसे आये थे और इसलिए, जैसा कि इस निर्णय में देखा गया है, यह अभियुक्त के विरुद्ध एक और अत्यधिक दोषजनक स्थिति बन जाती है।"

30. वास्तव में, विचारण न्यायालय ने यह सही कहा है कि, अपीलकर्ताओं को यह बताना था कि उनके द्वारा पहने गए कपड़ों में मानव रक्त कैसे आया था। धारा 313 के कथनों में भी अपीलकर्ताओं की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। ऐसी स्थिति में उक्त तर्क भी मानने योग्य नहीं है।

31. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस तर्क कि, चूंकि दोषसिद्धि पीडब्लू 4 की एकमात्र साक्ष्य पर आधारित थी, इसलिये बिना उचित सम्पुष्टि के इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है, का समर्थन करने के लिए वडिवेलु थेवर (सुप्रा) पर निर्भर किया, जैसा कि हमने पाया है कि दोषसिद्धि केवल पीडब्लू 4 के एकमात्र बयान पर आधारित नहीं थी, बल्कि अन्य

चश्मदीद गवाह, अर्थात्: पीडब्लू 5 जिसकी साक्ष्य पीडब्लू 4 की साक्ष्य के बराबर स्वीकार्यता के योग्य थी,ने भी इसका समर्थन किया ,इसके अलावा चिकित्सकीय साक्ष्य ने भी अभियोजन का पूर्ण समर्थन किया है, जिस कारण उक्त न्यायिक निर्णयन हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होते है।

32. जहाँ तक अब्दुल सईद (सुप्रा) के फैसले पर निर्भरता का सवाल है, हम पाते हैं कि उक्त निर्णय अपीलकर्ताओं के मामले का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि हस्तगत मामले में, पीडब्लू 4 की साक्ष्य को पीडब्लू 5 और अन्य चिकित्सीय साक्ष्य व साथ ही विशेषज्ञ की राय के साथ पढ़े तो अपीलकर्ताओं की अपराध में संलिप्तता के अलावा, मृतक के साथ-साथ पीडब्लू 4 को भी खत्म करने के उनके सामान्य इरादे का खुलासा करती है।सौभाग्य से पीडब्लू 4 बच गया, हालाँकि उसे भी कई चोटें लगीं, जो अंततः गंभीर नहीं थीं। ऐसी परिस्थितियों में, हमें उक्त तर्क में ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिससे यह माना जा सके कि धारा 34 हस्तगत मामले में लागू नहीं होती हो। इसलिए, उक्त निर्णय पर की गई निर्भरता भी अपीलकर्ताओं की कोइ मदद नहीं करती है।

33. जैसा कि राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया है, चिकित्सीय साक्ष्य काफी हद तक मृतक को खत्म करने के अभियुक्त के इरादे को स्थापित करता है और मृतक को कारित चोटें उस समन्वित प्रतिशोध का

खुलासा करती हैं जिसके साथ अपीलकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मृतक जीवित न रहे।

34. हमारे उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती है। ये अपीलें विफल हो जाती हैं और इन्हें खारिज कर दिया जाता है।

अपीलें खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंकित सिंघल, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।